

दिनांक :
31.08.2012
प्रातः
11.00 बजे

स्थल :
सामुदायिक केंद्र,
बौद्ध विहार योजना,
मुरादाबाद

बरेली जोन के अन्तर्गत बरेली/मुरादाबाद/चन्दौसी/रामपुर एवं बिजनौर की सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी



भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल व०मी०	अनुमानित मूल्य (लाख में)	बयाना धनराशि/टोकनमनी (लाख में)
------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल व०मी०	आरक्षित मूल्य (लाख में)/आरक्षित दर प्रति (व.मी.)	बयाना धनराशि/टोकनमनी (लाख में)
------------------------	-----------------------	-----------------	--	--------------------------------

लाटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

बैम्बे योजना सी०बी० गांज, बरेली				
बैम्बे भवन - (निरस्तीकरण से प्राप्त) (डूडा कार्यालय बरेली से प्राप्त लाभार्थियों की सूची के आधार पर ही बैम्बे भवनों का आवंटन किया जायेगा।)	1 नग	25.00	0.20	0.05
बरेली मोड़, यो०सं०-03, शाहजहापुर आवासीय भूखण्ड 300.00 वर्ग मी० से बड़े				
3/64	(01 नग)	342.00	16.86	0.85
मंडोला योजना सं०-04, भाग-02, मुरादाबाद				
51 से 80 व.मी. तक (आर1-ए2)	39	51 से 80	9744.00	प्र.व.मी. 0.39
81 से 170 व.मी. तक (आर1-बी)	9	81 से 170	9744.00	प्र.व.मी. 0.83
171 से 250 व.मी. तक (आर1-सी)	01	200	9744.00	प्र.व.मी. 1.00
251 वर्ग मीटर से अधिक (आर1-डी)	02	312.50	9744.00	प्र.व.मी. 2.22
		454.50		
भागीरथी योजना, बिजनौर				
भूखण्ड	01	75	5936.00	प्र.व.मी. 0.23
बैम्बे योजना, रामपुर				
बैम्बे भवन-ए-15, 188, 279, 356, बी-104, 131 (डूडा, रामपुर द्वारा चयनित लाभार्थियों के मध्य आवंटन किया जायेगा।)	06	25.01	20000/-	प्रति भवन

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक/अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

राजेन्द्र नगर यो०सं०-02, बरेली				
हाल्स प्रथम तल-एच-3, एच-4	(02 नग)	77.55	26.70	प्रति नग 2.68
दुकानें (ई ब्लाक) 6, 7, 11, 13	(04 नग)	16.00	10.34	1.05
दुकान (ई ब्लाक) 12	(01 नग)	39.954	25.81	2.61
बरेली मोड़, यो०सं०-03, शाहजहापुर व्यावसायिक भूखण्ड				
1/कॉम-7	(01 नग)	533.51	10842	प्र०व०मी० 5.79
1/कॉम-8, 1/कॉम-9, 1/कॉम-10, 1/कॉम-11	(04 नग)	509.00	9856	प्र०व०मी० 5.02
1/कॉम-12	(01 नग)	852.57	10842	प्र०व०मी० 9.25
कम्युनिटी सेन्टर-सी.सी.-5/1	(01 नग)	4352.25	5324	प्र०व०मी० 23.18
दुकान हेतु भूखण्ड				
- सी.एस.-5/6	(01 नग)	78.30	9856	प्र०व०मी० 0.78
टैगोर नगर योजना, पीलीभीत दुकानें (14 नग)				
एस-2		10.47	4.965	0.50
एस-3		10.36	4.91	0.50
एस-4		10.26	4.865	0.49
एस-5		9.96	4.72	0.48
एस-6		10.82	5.13	0.52
एस-7		10.74	5.09	0.51
एस-8		11.30	5.355	0.54
एस-9		11.62	5.51	0.56
एस-10		10.64	5.045	0.54
एस-11		10.64	5.045	0.54
एस-12		11.25	5.335	0.54
एस-14, एस-15		10.64	5.045	0.54
एस-16		11.62	5.51	0.56
दुकान भूखण्ड (01 नग)				
भूखण्ड सं०-5		52.50	10528	प्र०व०मी० 0.56

नोट :- आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्ति हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने की दशा में अनारक्षित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर आवंटन कर दिया जायेगा।

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप :- 1. योजना/शहर का नाम 2. भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल 3. आवेदक का नाम 4. पिता/पति का नाम 5. पत्र व्यवहार का पता 6. दूरभाष/मोबाइल नम्बर 7. आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) 8. संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट संख्या 9. निर्गतकर्ता बैंक का नाम 10. भुगतान का विकल्प आवेदक के हस्ताक्षर तिथि स्थान
सील बंद का प्रारूप :- 1. योजना/शहर का नाम 2. सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल 3. आरक्षित मूल्य 4. आफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) 5. टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु० 6. बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक 7. नाम 8. पिता/पति का नाम 9. आरक्षण श्रेणी (यदि हे तो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) 10. पत्र व्यवहार का पता 11. दूरभाष/मोबाइल नम्बर 12. दिनांक स्थल नाम-पिता/पति का नाम-संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम पूरा पता

घोषणा का प्रारूप (आवेदन एवं सील बंद एवं दोनों के साथ आवश्यक है) :- 1. मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ, सम्पत्ति जहाँ है, जैसी है के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ। 2. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अयस्क बच्चों के नाम सम्बन्धित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। 3. मेरे मेरे पति/पत्नी अथवा अयस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2010-2011 को समस्त स्रोतों से आय रु० से अधिक नहीं है। 4. मुझे उत्तर प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि.....स्थान.....आवेदक के हस्ताक्षर.....

नियम एवं शर्तें :- 1. समस्त आवेदनों के साथ विज्ञापन में नीचे अंकित प्रारूप पर घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 2. आवेदन/सील बंद फार्म संबंधित शहर/योजना के स०प्र० कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु० 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 3. सील बंद/ऑफर अंकित करते हुए रु० 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बंद फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा कराने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 4. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बंद सम्बन्धित शहर/योजना के लिये उल्लिखित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है :- कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली (सभी नगरों हेतु) सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, टैगोर नगर, पीलीभीत। सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, योजना संख्या -3, बरेली मोड़, शाहजहापुर। सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, एच-2, 3 एवं 4 (प्रथम तल), सत्यम सिनेमा के सामने, लाजपतनगर, मुरादाबाद। 5. सम्पत्ति संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 6. आवंटन हेतु निर्धारित आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन/शासनादेश/परिषद के प्रदेश सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 7. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2012 तथा सील बंद नीलामी के एक दिन पूर्व सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पतों पर प्राप्त हो जाना चाहिए। नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 8. अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 9. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 10. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। 11. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ०प्र० के किसी अन्य नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। 12. एक आवेदक के पास एक से अधिक भवन/भूखण्ड हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र व पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी। सफलता की स्थिति में एक भवन/भूखण्ड देय होगा एवं शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। 13. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवी में भाग लिया जा सकता है। 14. अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 15. सम्पत्ति के अन्तर्गत आवासीय सम्पत्ति की वेबसाइट : <http://www.upavp.com> पर Public Notice के अन्तर्गत देखा जा सकता है। 14. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

दुकान भूखण्ड (01 नग)				
भूखण्ड सं०-5		52.50	10528	प्र०व०मी० 0.56
बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद				
व्यावसायिक भूखण्ड- 4ए-कॉम-सी.पी.-01 (कार्नर)	01	421.54	22176.00	प्र.व.मी. 9.35
मंडोला योजना संख्या- 4, भाग-2, मुरादाबाद				
कम्युनिटी सेन्टर-	6ए/01 (लीज़ पर)	01	4613.13	9570.00 प्र.व.मी. 44.15
व्यावसायिक भूखण्ड-	6ए/01 कार्नर (अनु०जाति)	01	640.00	21437.00 प्र.व.मी. 13.72
	सी०पी० 7सी/1बी	01	2388.83	19488.00 प्र.व.मी. 46.56
व्यावसायिक भूखण्ड-	6ए/02, 05 (अन्य पिछड़ वर्ग)	02	480.00	19488.00 प्र.व.मी. 9.35
	सी०पी० 7सी/1ए कार्नर	01	2236.15	21437.00 प्र.व.मी. 47.94
व्यावसायिक भूखण्ड-	6ए/03, 04, 06 (अनारक्षित)	03	480.00	19488.00 प्र.व.मी. 9.36
	सी०पी० 7 सी/1सी कार्नर	01	2337.00	21437.00 प्र.व.मी. 50.10
व्यावसायिक भूखण्ड-	7बी/1ए कार्नर	01	2082.01	21437.00 प्र.व.मी. 44.63
	7बी/1बी	01	2354.55	19488.00 प्र.व.मी. 45.89
	7बी/1सी कार्नर	01	2139.22	21437.00 प्र.व.मी. 45.86

उक्त नवविकसित सम्पत्ति की नीलामी में परिषद नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

जिगर विहार योजना, मुरादाबाद				
कम्युनिटी सेन्टर भूखण्ड-कम्युनिटी सेन्टर (लीज़ पर)	01	928.00	11000.00	प्र.व.मी. 10.21
लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद				
दुकानें- एस-71	01	17.49	6.82	0.69
एस-72, 73	02	16.89	6.59	0.66
एस-81, 82, 83, 84	04	16.52	5.91	0.60
नवविकसित दुकानें-इन दुकानों में नियमानुसार आरक्षण निर्धारित करने के उपरान्त नीलामी की जायेगी।				
एस.एफ.एस-71	01	16.07	8.16	0.82
एस.एफ.एस-60	01	13.38	6.80	0.68
एस.एफ.एस-62, 88, 89	03	7.73	3.93	0.40
एस.एफ.एस-75	01	4.00	2.04	0.21
एस.एफ.एस-81	01	3.99	2.03	0.21
एस.एफ.एस-82, 85	02	3.77	1.92	0.20
एस.एफ.एस-64	01	3.74	1.91	0.20

सम्भल गेट योजना संख्या-1, चन्दौसी				
कम्युनिटी सेन्टर भूखण्ड- कम्युनिटी सेन्टर (लीज़ पर)	01	1371.77	6413.00	प्र.व.मी. 8.80
दुकानें- एस-10, 11, 12, 13, 14, 15	06	11.22	7.44	0.75
एस-16	01	11.66	7.87	0.79
भागीरथी योजना, बिजनौर				
दुकानें- एस-4, 5, 8, 9, 10	05	9.61	5.70	0.57
एस-3	01	18.18	10.70	1.07

परिषद से सम्बन्धित समस्या, हमसे कहे!
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में
प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।
1800-180-5333 (टोल फ्री)
डायल करें 0522-2236803

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
(आई०एस०ओ 9001-2000 प्रमाणित संस्था)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
website : <http://www.upavp.com> e-mail : upavp@sanchar.net.in